न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 103/2019
जीसीएमएस : 2019/00367

1. मानीराम पुत्र सुरजा राम जाति जाट निवासी 27 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज

–: प्रार्थी

बनाम

1. नेतराम पुत्र नंद राम जाति बेरागी निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
3. बिट्टु देवी पत्नी विनोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी 3 एमएसडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–: अप्रार्थीगण

<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–
1. श्री मनिन्द्र कुमार, वकील प्रार्थी
2. श्री सोहन वर्मा, वकील अप्रार्थी सं. 3

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक : 02.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 27 पीएस तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 56 मु.नं. 34 में कि.नं. 18–19 प्रत्येक सालम व कि.नं. 20/2 में 0.102है., 21/3 में 0.128हे., कि. नं. 22 से 24 प्रत्येक सालम कुल 1.495है. नहरी खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त रकबा से मु.नं. 34 के कि.नं. 21 में से उत्तर पश्चिमी कोना की जगह पूर्व–पश्चिम 75फुट व उत्तर दक्षिण 72 फुट लम्बाई में यानि कि.नं. 20 से चिपती हुई कुल 0.050है. नहरी भूमि अप्रार्थी सं. 1 को जरिये बैयनामा विक्रय किया हुआ हैं। अप्रार्थी सं. 1 उपरोक्त खरीदशुदा भूमि की आड में प्रार्थी को खातेदारी रकबा से विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करने की फिराक में हैं। अप्रार्थी सं. 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी की गैर हाजरी में खरीदशुदा भूमि की आड में बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना पैमाईश प्रार्थी के प्रार्थी के खातेदारी रकबा में प्रार्थी की सहमति व स्वीकृति के बिना इन्टे डालकर निर्माण करना चाहा तो प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.10.2019 को अप्रार्थी के उक्त विधि विरूद्ध कृत्य को देखते हुए अप्रार्थी को औलमा दियाव प्रार्थी के रकबा में किसी प्रकार के निर्माण नही करने व उसमें किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नहीं करने का कहा तो अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को खातेदारी रकबा से बेदखल करने हेतु धमकी दी। जिस पर प्रार्थी ने पुलिस थाना रायसिंहनगर में कार्यवाही की तो अप्रार्थी सं. 1 ने रकबा में किसी प्रकार का प्रवेश नहीं करने व उसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने का पूर्ण आश्वासन दिया। दिनांक 17.11.2019 को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने साथ कुछ गुण्डे बदमाशो को लेकर व मिस्त्री मजदूरों सहित प्रार्थी की भूमि में जबरदस्ती प्रवेश कर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की नियत से दिवार निर्माण करने का प्रयास किया तो प्रार्थी द्वारा गांव के मौजिज व्यक्तियों की पंचायत इक्टठी कर अप्रार्थी सं. 1 को उक्त विधि विरूद्ध कृत्य नहीं करने का कहा तो अप्रार्थी सं. 1 ने एलानिया धमकी दी कि वह प्रार्थी के खातेदारी रकबा में कब्जा व दीवार निर्माण करके प्रार्थी को खातेदारी रकबा से वंचित कर देगा। अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी के खातेदारी रकबा बाबत किसी प्रकार को ई विधिक अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 1 को उक्त विधि विरूद्ध कृत्य से जरिए निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। प्रार्थी के नाम [illegible] मु.नं. 34 की कुल 1. 495है. नहरी रकबा खातेदारी हैं। प्रार्थी अपने रकबा पर [illegible] काबिज चला आ रहा हैं। व फसल काश्त की हुई हैं। इसलिए प्रथम [illegible] प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 के [illegible] पारित करने कि प्रार्थी के खातेदारी रकबा चक 27 पीएस तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 56 मु.नं. 34 [illegible] 18–19 प्रत्येक सालम व कि.नं. 20/2 में 0.102है., 21/3 [illegible]128हे., कि.नं. 22 से 24 [illegible] सालम कुल 1.495है. नहरी खातेदारी भूमि से प्रार्थी को विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:46:09 IST
Reason: SelfAttested

रकबा में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने से बाज व ममनु रहे व अप्रार्थी सं. 1 को कि.न. 21/3 की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद करने के लिए निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के निवेदन करने पर दिनांक 18.11.2019 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विवादित भूमि पर मौका की यथास्थिति बनाए रखने की अप्रार्थी के विरूद्ध पारित की गयी। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 बिट्टु देवी का दिनांक 28.11.2020 को प्रार्थना पत्र आ.1नि.10 सीपीसी का स्वीकार कर पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी स. 1 के विरूद्ध दिनांक 03.03.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद दायरी से काफी अरसा पूर्व ही प्रार्थी ने अप्रार्थीया को पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि रोबरू गवाहान वसूल पाते हुए उल्लेखित भूमि में से चक 27 पीएस के मु.न. 34 के कि.न. 18–19 प्रत्येक 0.253है., 20 की 0.064है. कुल 0.570है. नहरी बजरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 30.05.2019 विक्रय करते हुए कब्जा मय पानी सुपुर्द किया, जिस पर तब से निरन्तर व लगातार अप्रार्थीया का कब्जा काश्त सद्भावी क्रेता की हैसियत से साधिकार चला आ रहा है। उक्त क्रयशुदा रकबा पर दिनांक 30.05.2019 से समस्त खातेदारी हक हकूक व अधिकार अप्रार्थीया में निहित होने से प्रार्थी के उक्त रकबा पर कोई हित व अधिकार ही शेष न रहने से उक्त रकबा के संबंध में प्रार्थी माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष व व्यादेश पाने का कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने वास्तविक व सही तथ्यों को छिपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर वांछित अनुतोष व व्यादेश अप्रार्थीया के आवश्यक व प्रभावित पक्षकार होने के तथ्य का भलीभांति ज्ञान होने के बावजूद उसे पक्षकार न बना उसकी अनुपस्थिति में प्राप्त करने की कुचेष्टा की है। प्रार्थी न तो सद्भावी है, न ही क्लीनहैण्ड से न्यायालय में आया है। प्रार्थी को अप्रार्थीया के विरूद्ध कोई विनाये दावा मुखास्मत हासिल नहीं होने से वाद प्रार्थी काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया नाकाबिल चलने के है। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीया के पक्ष में साबित है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिस पर प्रार्थी को समस्त हक व अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी स. 1 प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करना चाहता है। यदि अप्रार्थी इसमें कामयाब हो जाता है। तो प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय तक स्थाई करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीया सद्भावी क्रेता है। अप्रार्थीया द्वारा चक 27 पीएस के मु.न. 34 के कि.न. 18–19 प्रत्येक 0.253है., 20 की 0.064है. कुल 0.570है. नहरी भूमि जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद की हुई है। अतः खरीद के रोज से ही भूमि के समस्त हक हकूक अप्रार्थीया में निहित है। प्रार्थी सही तथ्यों को छुपाकर न्यायालय में आया है। प्रार्थी अप्रार्थीया के विरूद्ध किसी प्रकार का व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने रजि. दस्तावेज के तहत अपनी खातेदारी भूमि में से दिनांक 30.05.2021 को ही कि.न. 18,19,20 की कुल 0.570है. जमीन का बेचान अप्रार्थीया बिट्टु देवी को किया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई आदेश/दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रतीत हो कि रजि. बैयनामा निरस्त/प्रभावहीन घोषित हो चुका है। प्रार्थी ने दिनांक 18.11.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने में इस तथ्य को छुपाया है कि उसने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में से कुछ भाग का बेचान जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया है। अप्रार्थी सं. 3 सद्भावी क्रेता है। जिससे सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया मामला, व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अप्रार्थी सं. 3 के हक में प्रतीत होते हैं। अतः प्रार्थना प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि. खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2019 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को भी निरस्त किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:46:09 IST
Reason: SelfAttested